न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 83/2021

1. श्रवणलाल पुत्र गंगाबक्ष
2. देवीलाल पुत्र गंगाबक्ष
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र गंगाबक्ष
4. राधेश्याम पुत्र स्वर्गीय कल्याण

समस्त जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासीयान ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. छोटू पुत्र नारायण जाति बागडा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव पता :– जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज0)
3. उप पंजीयक सांगानेर तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज0)
4. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज0)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, घोषणा दुरूस्ती

नक्शा ट्रेस, एवं स्थाई निषेधाज्ञा

व

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

निर्णय **दिनांक: 30.09.2022**

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया गया जिसमें [illegible] के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय के [illegible] एक वाद संख्या 114/2013 बउनवानी छोटू बनाम कल्याण व अन्य [illegible] किया गया था, प्रस्तुत प्रकरण में जो वादीगण है, वे पूर्व में प्रस्तुत [illegible] छोटू बनाम कल्याण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:36:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

में प्रतिवादीगण की हैसियत से पक्षकार मुकदमा थे तथा प्रकरण में उनके द्वारा अधिवक्ता भी नियुक्त किया गया था जो प्रकरण में उनकी ओर से पैरवी कर रहा था। विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत वाद छोटू बनाम कल्याण माननीय न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया व डिक्री पालना में छोटू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद भी कर दिया गया है। प्रस्तुत वाद छोटू बनाम कल्याण में वादीगण पक्षकार मुकदमा थे तथा उन्हें उक्त डिक्री की पूर्ण रूप से जानकारी थी तथा जानकारी होने के बावजूद भी उक्त डिक्री न्यायालय द्वारा जारी होने के बावजूद पुनः उसी विवादग्रस्त भूमि के संबंध में पुनः एक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, जो कानूनन क्षेत्राधिकार के अभाव में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई का श्रवणाधिकार नहीं है तथा ना ही किसी प्रकार का कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है। ऐसी सूरत में वादी द्वारा विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है क्योंकि पूर्व में ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में विवादग्रस्त भूमि के संबंध में निर्णय पारित किया जा चुका है। अब पुनः विवादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 को मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से वाद हाजा पेश किया है जो चलने योग्य नही है तथा कानूनन खारिज फरमाये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी/वादी को जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जवाब का अवसर बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र नियत की गई। प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी/वादी द्वारा दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा दुरुस्ती नक्शा ट्रेस, एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में विचाराधीन वाद संख्या 114/2013 बउनवानी छोटू बनाम कल्याण वगै. में निर्णय दिनांक 31.10.2019 के द्वारा अप्रार्थीगण/वादीगण की भूमि में से 3 बीघा 07 बिस्वा भूमि हजफ कर अप्रार्थी/प्रतिवादी 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश पारित किये थे। लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार सांगानेर ने अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 को अनुचित लाभ दिये जाने के लिये माननीय न्यायालय के आदेशों से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 16:36:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थीगण/वादीगण की सम्पूर्ण भूमि को ही प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दी। लेकिन प्रार्थी द्वारा वर्तमान जमाबंदी के अलावा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित होता हो कि अप्रार्थीगण/वादीगण की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अंकित कर दी गई हो। ऐसे में अप्रार्थीगण/वादीगण कानूनन अधिकारी है कि वह अपनी भूमि साबिक खसरा संख्या 333 हाल खसरा 771, 772, 773, 774, 775मी0, 776मी0, 841, साबिक खसरा नंबर 334 हाल खसरा 775मी0, 776मी0, 779, 781 का रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने व हाल राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज रकबे की दुरूस्ती करवाकर सम्पूर्ण 1 बीघा 2 बिस्वा दर्ज करवाकर घोषणा करवाने के अधिकारी है।

वादीगण के वाद में वर्णित उपरोक्त कथनो से जाहिर होता है कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा इस न्यायालय में निर्णित पूर्व वाद वाद संख्या 114/2013 बउनवानी छोटू बनाम कल्याण वगै. में निर्णय दिनांक 31.10.2019 की पालना सही न कर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अप्रार्थीगण/वादीगण की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि अधिक प्रार्थी/प्रतिवादी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दी है। जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। जबकि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र में कथन की विवादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय से डिक्री जारी होने के उपरांत अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा उसी विवादग्रस्त भूमि के संबंध में पुनः एक वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है, जो कानूनन क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है। जो सही प्रतीत होता है। क्योकि अगर प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार सांगानेर द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व अप्रार्थीगण/वादीगण की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि अधिक प्रार्थी/प्रतिवादी के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दी है लेकिन प्रार्थी द्वारा वर्तमान जमाबंदी के अलावा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नही किया है जिससे साबित होता हो कि अप्रार्थीगण/वादीगण की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के अंकित कर दी गई हो। तो अप्रार्थीगण/वादीगण को प्रतिवादी संख्या 4 तहसीलदार सांगानेर के समक्ष उज्र प्रस्तुत करने चाहिए अथवा तहसीलदार सांगानेर द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित आदेश की सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। वादग्रस्त भूमि के संबंध में पुनः वाद प्रस्तुत करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:36:16
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.17 15:36:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner